

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन हेतु जनपद मिर्जापुर का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण प्रतिवेदन

मिशन निदेशक महोदय के पत्रांक:एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2017-18/18/686-2 दिनांक 01.05.2017 के क्रम में दिनांक 23.05.2017 से 25.05.17 तक मिर्जापुर जनपद के जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक, प्राथमिक एवं उपकेन्द्र स्तर की चिकित्सा इकाईयों का भ्रमण किया गया तथा संचालित गतिविधियों का अनुश्रवण किया गया।

राज्य स्तरीय भ्रमण टीम-

1. डा0 मनोज शुक्ला, महाप्रबन्धक, मातृत्व स्वास्थ्य।
2. डा0 आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य।
3. श्री प्रभाकर तिवारी, सलाहकार, मातृत्व स्वास्थ्य।
4. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, परिवार नियोजन।

जनपद स्तरीय भ्रमण टीम-

1. डा0 आर0एस0राम, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, मिर्जापुर।
2. श्री ओमकार सिंह, जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर, मिर्जापुर।(दिनांक 23.05.17से24.05.17तक)
3. श्री अनिल मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, मिर्जापुर। (दिनांक 25.05.2017 को)

भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों निम्न हैं:-

- प्रथम दिवस- तिथि: 23.05.2017- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिल्ह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विन्ध्याचल एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्पर्क व अवलोकित बिन्दुओं पर चर्चा।
- द्वितीय दिवस- तिथि: 24.05.2017- जनपद स्तरीय महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कछवा, टीकाकरण सत्र सरावों तृतीय, विकास खण्ड-मझवों एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कैम्प कार्यालय में बैठक।
- तृतीय दिवस- तिथि: 25.05.2017- नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र, संघमोहाल, मिर्जापुर।

भ्रमण के दौरान भरी गयी चेकलिस्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न है। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है-

अवलोकन बिन्दु	सुझाव
सिटीजन चार्टर मानक के अनुसार नहीं थे।	समस्त इकाईयों पर मानकानुसार अपडेट कराये जाने का सुझाव दिया गया।
ई0डी0एल0 उपलब्धता की स्थिति अपडेट नहीं थी।	नियमित रूप से अपडेट कराये जाने का सुझाव दिया गया।
स्वच्छता जिला महिला चिकित्सालय को छोड़कर शेष चिकित्सा इकाईयों के परिसर में साफ-सफाई ब्यवस्था ठीक नहीं है।	सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को इसके बारे में ब्यापक रूप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया।
लेबर रूम एवं अन्य चिल्ह, विन्ध्याचल एवं कछवा तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में लेबर रूम में मानक अनुसार सुविधाओं का अभाव पाया गया। वार्ड व लेबर रूम गन्दे थे। प्रसव कक्ष के टायलेट में गंदगी पाई गयी। नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र में	प्रोटोकाल पोस्टर्स यथास्थान पर लगवाये जाने का सुझाव दिया गया। मैगनाटोस की ब्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। टी0एस0यू0 के नर्स मेण्टर के माध्यम से समस्त चिकित्सा इकाईयों पर क्षमता वर्द्धन कराये

(Handwritten signature and initials)

<p>पर्दे भी नहीं लगे थे। प्रोटोकाल पोस्टर नहीं लगे थे। चिल्ह में प्रसव टेबल में बिना मैट्रेस तथा मैकन्टोश के प्रसव कराया जा रहा था। लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे पूर्ण नहीं पायी गयी लेबलिंग अपडेट नहीं की गयी थी। ऑक्सीटॉक्सिन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 2 से 8 डिग्री तापमान में नहीं रखा गया था। पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर में सही ढंग से लेखे नहीं किये जा रहे थे। भर्ती प्रसूताओं को एजेन्सी के माध्यम से भोजन दिया जा रहा है। प्रसूताओं का डिस्चार्ज व भोजन का रिकार्ड मैच नहीं कर रहा है। चिल्ह में रेफरल इन एवं आउट रजिस्टर तथा एच0आई0वी0 टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थी। जिला महिला चिकित्सालय में वी0डी0आर0एल0 टेस्टिंग किट विगत दो माह से अनुपलब्ध।</p>	<p>जाने का सुझाव दिया गया। नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र ग्लूकोमीटर स्ट्रिप विगत 10 दिनों से उपलब्ध नहीं है। हीमोग्लोबिन टेस्टिंग किट भी उपलब्ध नहीं था।</p>
<p>जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अत्यधिक भुगतान लम्बित पाये गये। छुट्टी के समय भुगतान से सम्बन्धी लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र किसी भी लाभार्थी को नहीं दिया जा रहा है।</p>	<p>इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए लाभार्थी भुगतान प्रमाण देने हेतु निर्देशित किया गया।</p>
<p>न्यू बार्न केयर कार्नर चिल्ह में वार्मर खराब था। उपस्थित स्टाफ नर्स को न्यू बार्न केयर कार्नर की ठीक प्रकार से जानकारी नहीं थी।</p>	<p>ड्यूटी स्टाफ का ज्ञान व कौशल वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रयास किया जाये।</p>
<p>बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट जिला महिला चिकित्सालय को छोड़कर समस्त चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी क्रियाशील नहीं है। उपस्थित स्टाफ को भी बेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है। अलग रंगों की तीनों डस्टबिन नहीं पाये गये।</p>	<p>अतिशीघ्र मानक के अनुरूप बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा स्टाफ का ज्ञान व कौशल वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रयास करने के निर्देश दिये गये।</p>
<p>दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउण्ड जाँच और दवा बाहर से खरीदने के लिये कहा जा रहा था।</p>	<p>फार्मासिस्ट को स्टाक बुक इण्ट्री एवं एक्सपायरी डेट रजिस्टर के सम्बन्ध में तथा दवाईयों की इन्ट्री नियमित रूप से किये जाने सम्बन्धी सुझाव दिया गया। दवा बाहर से खरीदने की निन्दा की गयी।</p>
<p>परिवार नियोजन नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारूप उपलब्ध होने के बावजूद भी पुराने प्रारूप पर सहमति पत्र भरा जा रहा है। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नहीं पाया गया। जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि टीम को समय से गाड़ी की व्यवस्था नहीं है।</p>	<p>कैम्प का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। कैम्प से पूर्व समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तय की जाय व जिम्मेदारियां दी जाय तथा प्रत्येक कैम्प में कम से कम 25 केस आना सुनिश्चित किया जाय। कैम्प दिवस पर सर्जन टीम व वाहन की समय से उपलब्धता हेतु निर्देशित किया गया।</p>
<p>होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। किन्तु ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजरस व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को स्कीम सम्बन्धी जानकारी नहीं।</p>	<p>प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक, एच0ई0ओ0 व ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर समस्त दिशा निर्देशों व शासनादेशों की प्रति अपने पास रखें व उसका अध्ययन करें तथा समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के बैठक में योजना सम्बन्धी जानकारियां प्रदान कर कार्यकर्ताओं का भी क्षमतावर्धन करें व नियमित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करें।</p>

10

10/10/20

<p>पी0पी0आई0यू0सी0डी0 जिला महिला चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कछवा में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सेवायें दी जा रही हैं। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन व फालोअप के रिकार्ड मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लाभार्थियों का फालोअप किया जा रहा है।</p>	<p>पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन अधिक कराये जाने व फालोअप करने का सुझाव दिया गया।</p>
<p>आई0ई0सी0 अद्युनान्त आई0ई0सी0 डिस्टले नहीं था।</p>	<p>विविध कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण संशोधित शासनादेशों के अनुरूप डिस्टले कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p>
<p>आर.बी.एस.के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिल्ह द्वारा अवगत कराया गया कि आर.बी.एस.के. टीमों हेतु एक बोलेरो वाहन उपलब्ध होने के कारण दोनों टीमों एक साथ विजिट करती हैं। माइक्रोप्लान के अनुसार टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। चिल्ह में लागबुक उपलब्ध नहीं था। टीम के रिकार्ड भली भाँति भरे गये थे। अर्श काउन्सलर के पास वजन नापने की मशीन व हाइट चार्ट उपलब्ध नहीं था।</p>	<p>इंचार्ज को सुझाव दिया गया कि वाहनों के लागबुक नियमित रूप से भरे जायें व प्रतिदिन के रिकार्ड का अवलोकन किया जाए।</p>
<p>एम्बुलेन्स सेवा 102 एम्बुलेन्स UP 41 G 3515, UP 41 G 0995 व UP 41 G 0299 का अवलोकन किया गया। एम्बुलेन्स UP 41 G 3515 में बी0पी0 मापक यंत्र खराब था। UP 41 G 0299 का आक्सीजन सिलेण्डर का मीटर खराब था। बी0पी0 मापक यंत्र उपलब्ध नहीं था। दवाईयों की उपलब्धता थी, किन्तु उपयोग नहीं किया जा रहा था। UP 41 G 0995 में ए0सी0 गैस विगत 15 दिनों से उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा नियमित रूप से एम्बुलेन्स के रखरखाव, औषधियों की उपलब्धता एवं लागबुक की जाँच करायी जाये।</p>
<p>सपोर्टिव सुपरविजन वाहन चिल्ह में सपोर्टिव सुपरविजन हेतु वाहन का अनुबन्ध अप्रैल 2017 से नहीं हुआ है।</p>	<p>दिशा-निर्देशों के अनुरूप वाहन का अनुबन्ध कर नियमित रूप से सपोर्टिव सुपरविजन कराये जाने का सुझाव दिया गया।</p>
<p>ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र- सरौवा तृतीय, विकास खण्ड- मझवॉ</p>	
<p>आर0सी0एच0 रजिस्टर ठीक से नहीं भरा जा रहा था। एम0सी0टी0एस0 नम्बर ससमय अंकित नहीं किया जा रहा है। बैंक खाता एवं अन्य सूचनाएं भी नहीं अंकित हो रही थी। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड नहीं भरा जा रहा था। हब कटर व निश्चय किट उपलब्ध नहीं शिशुओं का वजन लेने के लिए वजन मशीन ठीक नहीं। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सम्बन्धी सलाह व अनुपूरक पोषाहार वितरित नहीं किया जा रहा था।</p>	<p>ए0एन0एम0, आशा एवं ऑगनवाड़ी कार्यकर्ती को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी गयी।</p>
<p>नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रसूताओं हेतु गोपनीयता, लेबर रूम में आवश्यक ट्रेज की अनुपलब्धता प्रसव में गिरावट एवं अप्रर्याप्त आई0ई0सी0।</p>	<p>इंचार्ज को उपरोक्त ब्यवस्थायें कराने का निर्देश दिया गया।</p>

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठक।




दिनांक: 24.05.2017

डा० विधु गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर की अध्यक्षता में समस्त चिकित्सा इकाईयों के इंचार्ज, जनपदीय ए०आर०ओ० व जिला कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिर्जापुर के उपस्थिति में टीम द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान पाये गये बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी जो निम्नानुसार है-



- समस्त इकाईयों पर इंचार्ज कक्ष में स्टाफ विवरण, ग्राफ, गतिविधियों की तस्वीरें व समस्त उपलब्धियाँ- एक नजर में डिस्प्लें होनी चाहिए तथा विजिटर रजिस्टर मेण्टेन किये जायें। इंचार्ज के टेबल पर मुख्य सूचनायें व दवाईयों आदि का विवरण उपलब्ध होने चाहिए।
- ओ०पी०डी० एवं मेडिको लीगल रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप पर मुद्रण कराकर समस्त इकाईयों को भेजा जाए व इंचार्ज द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि समस्त कालम में अपेक्षित सूचनायें भरी जायें।
- जे०एस०वाई० की उपलब्धि में गिरावट के कारणों को चिन्हित कर उपलब्धि बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।
- ए.एन.सी. रजिस्टर, प्रसव रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, जे०एस०वाई० भुगतान आदि का इंचार्ज द्वारा नियमित अवलोकन कर त्रुटियों को ठीक कराया जाये। प्रसूताओं को डिस्चार्ज के समय जे०एस०वाई० भुगतान प्रमाणपत्र प्रदान किया जाये। सभी स्टैण्डर्ड रजिस्टर के सभी कालम भरे जाने का सुझाव दिया गया।
- नसबन्दी हेतु नवीन प्रारूप के सहमति पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाणपत्र तथा पोस्ट आपरेटिव कार्ड समस्त स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध कराते हुए पूर्ण रूप से भरा जाना सुनिश्चित कराया जाए।
- डैथ सर्टिफिकेट भी निर्धारित प्रोफार्मा पर होना चाहिए। मृत्यु के कारण नहीं लिखे जा रहे हैं।
- समस्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जाए। साथ ही इसके लिए इकाईयों को समय से धनराशि उपलब्ध करा दिया जाए।
- रिपोर्ट्स में एकरूपता लाने हेतु इकाईयों द्वारा प्रेषित भौतिक प्रगति रिपोर्ट व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट का मिलान कर लिया जाए।
- प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना की गुणवत्ता सुधारे जाने की आवश्यकता है। बैनर अवश्य लगवायें। ए०एन०सी० की काउन्सिलिंग ग्रूप में की जाये। समस्त ए०एन०सी० की एच०आई०वी० व वी०डी०आर०एल० जाँच करायी जाये।
- एम०सी०पी० कार्ड पूर्ण रूप से भरे जायें। विशेषकर बचत खाता, आधार संख्या, एम०सी०टी०एस०, मोबाईल नम्बर व ए०एन०सी० जाँच की प्रविष्टि अवश्य की जाए।
- आशा व ए०एन०एम० को एच०आर०पी० इनसेन्टिव का ससमय भुगतान किया जायें।
- अधिकांशतः अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि ए०एन०सी० पंजीकरण द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में हो रहे हैं। अतिशीघ्र पंजीकरण कराये जायें।
- भर्ती प्रसूताओं को नियमित रूप से भोजन व नाश्ता दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा जे०एस०एस०के० डाईट रजिस्टर में नियमानुसार प्रविष्टि करें।
- मातृ मृत्यु समीक्षा के दौरान मृत्यु का कारण एवं सम्बन्धित डिले स्पष्ट लिखें।
- आर०बी०एस०के०टीमों के पास रेफरल स्लिप उपलब्ध कराये जायें।
- जनपद व ब्लाक स्तर के अधिकारी नियमित रूप से एम्बुलेन्स की जाँच करें।
- निर्धारित फर्म संगम मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रामीण इकाईयों में मानक के अनुरूप बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था अतिशीघ्र कराने का सुझाव दिया गया।

AD

[Handwritten signature and scribbles]



MSQ-Ed



भ्रमण टीम-

1. डा0 मनोज शुक्ला, महाप्रबन्धक, मातृत्व स्वास्थ्य
2. डा0 आलोक कुमार, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य
3. श्री प्रभाकर तिवारी, सलाहकार, मातृत्व स्वास्थ्य
4. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, प0 नि0

हस्ताक्षर

M. N. Shukla

.....

.....

.....

A. K. Singh

.....